2006:CGHC:5518

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका 2001/2003

कृषि उपज मंडी समिति पंडरी, कापा, रायपुर	:	याचिकाकर्ता

विरुद्ध

रविशंकर श्रीवास्तव, आत्मज जगन्नाथ प्रसाद श्रीवास्तव, शीतला मंदिर के पास, हांडी पारा, रायपुर	:	उत्तरवादी

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत याचिका

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2006:CGHC:5518

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 2001/2003

याचिकाकर्ता : कृषि उपज मंडी समिति

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : रविशंकर श्रीवास्तव

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति **श्री सतीश के. अग्निहोत्री**।

उपस्थिति: : याचिकाकर्ता के लिए श्री गौतम भादुड़ी, अधिवक्ता।
: उत्तरवादी के लिए श्री एन. के. व्यास, अधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मौखिक आदेश

(दिनांक 7 मार्च, 2006)

1. प्रकरण के निर्विवाद तथ्य यह हैं कि उत्तरवादी को 13.8.1984 पर दैनिक मजदूरी के आधार पर नकेदार के रूप में नियुक्त किया गया था।उत्तरवादी ने दिनांक 13.1.1989 तक बिना किसी विराम के नाकेदार के पद पर काम करना जारी रखा। उत्तरवादी की सेवा बिना किसी सूचना या छंटनी भत्ते के संदाय के दिनांक 2.2.89 को समाप्त कर दी गई।

2. विद्वान अधिवक्ता ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इसके बाद "आई. डी. अधिनियम 1947" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के अंतर्गत उप श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ क्षेत्र, रायपुर के समक्ष विवाद उठाया। उप श्रम आयुक्त ने अपने पत्र दिनांक

27.1.90 द्वारा निम्नलिखित विवाद्यक पर आई. डी. अधिनियम 1947 के अंतर्गत प्रकरण को पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रायपुर को प्रेषित किया । –

> "क्या उत्तरवादी को सेवा से हटाना वैध और उचित था? यदि नहीं तो वह किस अनुतोष का हकदार था और इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश जारी किया जा सकता है? "

3. श्रम न्यायालय, दोनों पक्षों के प्रकरण पर विचार करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उत्तरवादी को हटाना अविधिमान्य था क्योंकि यह आई. डी. अधिनियम 1947 की धारा 25–च के अनुसार किया गया है। उत्तरवादी को न तो सूचना दी गई थी और न ही आई. डी. अधिनियम 1947 की धारा 25–च के तहत छंटनी भत्ता संदत्त किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. तदनुसार श्रम न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.2.2003 द्वारा उत्तरवादी को हटाने के आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को पूर्ण वेतन के साथ उत्तरवादी को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया।

5. व्यथित होकर, नियोक्ता/याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत इस आधार पर याचिका दायर की है कि उत्तरवादी की नियुक्ति छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 30 के विरुद्ध है, जो किसी भी पद के सृजन से पहले निदेशक की पूर्व स्वीकृति को अनुध्यात करती है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि समिति ने राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 8.1.89 के आधार पर 90 अन्य व्यक्तियों के साथ उत्तरवादी को उसकी सेवा से हटाने का निर्णय लिया है।

7 . उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एन. के. व्यास ने तर्क प्रस्तुत किया है कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी, 1972 की धारा 30 के परंतुक में पद के सृजन हेतु निदेशक की पूर्व स्वीकृति को अनुध्यात किया गया है, न कि पद पर नियुक्ति के लिए। नाकेदार का पद पहले से ही सृजित था, प्रश्न नाकेदार के पद पर उत्तरवादी की नियुक्ति का है, इसलिए, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 30 का परन्तुक वर्तमान मामले, जहां विवाद पद के सृजन का नहीं है, अपितु पूर्व–सृजित नाकेदार के पद पर उत्तरवादी की नियुक्ति का है, पर लागू नहीं होगा। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 8.1.89 को प्रत्येक व्यक्तिगत मामले की जांच किए बिना तथा सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना लागू नहीं किया जा सकता। यह आगे तर्क दिया गया है कि उत्तरवादी के साथ हटाए गए लगभग सभी व्यक्तियों को बहाल/पुनः आमेलित कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और याचिका के साथ–साथ वापसी के लिए संलग्न अभिलेख और दस्तावेजों का अध्ययन किया है।

9 . यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने पहली बार यह विवाद्यक उठाया कि नियुक्ति छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 30 के उपबंधों के विरुद्ध है। अन्यथा भी, यह उपबंध प्रकरण के तथ्यों पर प्रयोज्य नहीं है क्योंकि इसमें अंतर्विष्ट विवाद्यक पद सृजन का नहीं है, अपितु नाकेदार के पद पर उत्तरवादी की नियुक्ति है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र को दिसम्बर 1988 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को हटाने के लिए स्वतः लागू नहीं किया जा सकता।

10. श्रम न्यायालय ने सभी पहलुओं की जांच करने के बाद ही यह निष्कर्ष निकाला है कि निष्कासन का आदेश दोषपूर्ण था।

2006:CGHC:5518

11. इस न्यायालय के पास, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, अधिकरण के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की सीमित गुंजाइश है, जब तक कि ऐसे निष्कर्षों को दर्ज करने के लिए कोई साक्ष्य न हो और अधिनिर्णय में विकृति या दोष न हो। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इसमें कोई विकृति या दुर्बलता नहीं दिखाई है, सिवाय इसके कि यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 30 के परंतुक के विरुद्ध की गई थी।

12. उपर्युक्त कथित कारणों से, आक्षेपित निर्णय दिनांक 25.2.2003 में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि प्रतिवादी को दिया गया पूर्ण पूर्व वेतन किसी भी तथ्य पर आधारित नहीं है। श्रम न्यायालय ने इस बात की जांच नहीं की थी कि क्या उत्तरवादी बिना किसी काम के 100% पूर्व वेतन का हकदार था और क्या उत्तरवादी कहीं और लाभकारी रूप से कार्यरत था। मामले के तथ्यों पर गौर करने पर पता चला कि उत्तरवादी दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त कर्मचारी था , न कि किसी स्वीकृत पद पर। न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 50% पिछला वेतन पर्याप्त होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. तदनुसार, याचिका उपर्युक्त सीमा तक इस प्रभाव से स्वीकार की जाती है कि श्रम न्यायालय द्वारा पारित बहाली के आदेश को बरकरार रखा जाए तथा पूर्ण बकाया वेतन को संशोधित कर 50% बकाया वेतन कर दिया जाए। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

बबलू

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur